सचिव
राज्यपाल सचिवालय
राजस्थान

राजभवन,
जयपुर - 302 006
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक प.1(28)राभ/2017/2195 दिनांक: 23–03–2018

समस्त कुलपतिगण,
राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः–विश्वविद्यालयों को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली ग्राण्ट्स के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अभी हॉल ही में कतिपय विश्वविद्यालयों को UGC से प्राप्त ग्राण्ट्स एवं उसके विरूद्ध हुए व्यय की समीक्षा में यह प्रकट हुआ है कि विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त ग्राण्ट्स का समुचित एवं समयबद्ध उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति पर माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश प्रदान किये गये हैं कि समस्त विश्वविद्यालय निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर प्रभावी एवं नियमित कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. विश्वविद्यालयों द्वारा गत तीन वर्षों में राज्य सरकार, भारत सरकार, UGC तथा अन्य विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त ग्राण्ट्स, उनके विरूद्ध प्राप्त राशि तथा उक्त प्राप्त राशि के विरूद्ध किये गये व्यय की वर्षवार वस्तुस्थिति;
2. यदि उपरोक्तानुसार प्राप्त ग्राण्ट्स के विरूद्ध अपेक्षा अनुसार व्यय नहीं हुआ है तो उक्त न्यून व्यय के प्रत्येक ग्राण्ट्स का पृथक–पृथक वर्षवार विस्तृत कारण;
3. विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त सूचना 15.04.18 तक राजभवन को प्रस्तुत की जावे।
4. विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जावे जिसमें वित्त नियंत्रक भी एक सदस्य हो तथा उक्त कमेटी अनुदान प्राप्त करने के विभिन्न स्त्रोतों की सम्भावनाओं का परीक्षण करे तथा प्राप्त अनुदान के समुचित व समयबद्ध उपयोग हेतु नियमित अनुश्रवण करे।

भविष्य में आयोजित होने वाली कुलपति समन्वय समिति की समस्त बैठकों में उक्त अनुसार ग्राण्ट्स के संबंध में समीक्षा एक स्थायी एजेण्डा होगा।

भवदीय,

23/03/18

(देबाशीष पृष्टी)